न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2380–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–5–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 298/अपील/2012–13.

जितेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व0श्री वासुदेव मिश्रा
निवासी ग्राम सांखनी तहसील भितरवार,
जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर,

.....अनावेदक

श्री हेमन्त भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

श्री एच0के0अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 96/2009–10/अ–6 में दिनांक 27–4–2012 को आदेश पारित किया जाकर ग्राम पवाया स्थित भूमि खाता कमांक 6 रकबा 4.410 हेक्टेयर एवं ग्राम लोहारी के खाता कमांक 334

रकबा 5.216 हेक्टेयर में से 1/2 भाग पर तथा ग्राम घुमेश्वर स्थित रकबा 4.410 हेक्टेयर भूमि पर रामेश्वर वन नारायणवन के स्थान पर संतवन गुरू रघुनाथवन का नामान्तरण स्वीकार किया गया । उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान संतवन गुरू रघुनाथवन की मृत्यु हो जाने पर आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत मृतक संतवन गुरू रघुनाथवन के वारिस को अभिलेख पर लिये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–1–2013 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये अपील भी निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–5–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 का आवेदन पत्र निरस्त करने में कानूनन अवैधानिकता की गई है, क्योंकि उक्त प्रकरण में संतवन का कोई वैध वारिस होने के कारण उसे पक्षकार नहीं बनाया गया था और शासन को पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे निरस्त करने का अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–5–15 को आदेश पारित कर ट्रस्ट बनाने का आदेश देने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि लोक न्यास की भूमि नहीं है ।

(3) आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें नोटरी रजिस्टर्ड करने वाली कुमारी विध्या तावट के कथन होने थे, परन्तु उनकी मृत्यु होने के

कारण उनके कथन नहीं हो सके, इसलिये वसीयत के अटेस्ट साक्षीगणों के कथन ही पर्याप्त थे, परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त कथनों को दृष्टिओझल कर जो आदेश पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र संतवन का शिष्य होने के नाते अनिरूद्ध शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है । अपर आयुक्त के न्यायालय में राधेवन गुरू संतवन के नाम से अपील प्रस्तुत की गई है, इससे स्पष्ट है कि संतवन का कोई वैध वारिस नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस को वैध वारिस माना गया है । इस कारण आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश शासन को पार्टी बनाकर जो कार्यवाही की गई है, वह विधिसंगत है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि घुमेश्वर मठ की होकर सार्वजनिक भूमि है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका स्वत्व है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से यह प्रकट नहीं होता है कि प्रश्नाधीन भूमि मठ मंदिर, स्थानीय व्यक्ति/किसी जाति, धर्म समुदाय विशेष के लिये है, बल्कि इसमें सभी नागरिकों का आवागमन सुलभ है, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में गठित मठ सार्वजनिक है और सार्वजनिक मठ का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है, अतः प्रश्नाधीन भूमि व संपत्ति की देखभाल,सुरक्षा एवं मंदिर की पूजा आदि की व्यवस्था प्रभावित होगी, उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा इस निर्देश के साथ अपील निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है कि प्रश्नाधीन संपत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा की दृष्टि से अनुविभागीय अधिकारी ट्रस्ट गठित करने की कार्यवाही करें एवं ट्रस्ट

गठन की कार्यवाही पूर्ण होने तक मंदिर की सेवा पूजा हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें । अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–05–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर